



2026:AHC:171663

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 27513 वर्ष 2026

अनिल कुमार निषाद

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : राजेश कुमार चौधरी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री राजेश कुमार चौधरी और राज्य की ओर से एजीए श्री बी.पी. मोर्य के तर्क सुने गए।
2. यह ज़मानत प्रार्थना-पत्र आपराधिक वाद संख्या 186/2026 (धारा 69, 351(3), 352 बीएनएस, थाना नगर, ज़िला बस्ती) में विचारण के दौरान आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने की मांग के साथ दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फँसाया गया है। प्राथमिकी की सामग्री और बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान को देखने पर ऐसा लगता है कि वह अपनी मर्जी से शामिल थी। आगे यह भी कहा गया है कि पीड़िता बालिग है (उम्र लगभग 19 साल) और कक्षा 8 के विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र के अनुसार उसकी जन्म तिथि 10.8.2007 है; हालाँकि, कोई दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र या सबसे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पहले पढ़े गए विद्यालय का प्रमाण पत्र नहीं है और उम्र का पता लगाने के लिए पीड़िता की कोई रेडियोलॉजिकल जाँच नहीं की गई है। यह भी कहा गया है कि पीड़िता की चिकित्सीय-विधिक आख्या उसके साथ बलात्कार होने की पुष्टि नहीं करती है। यह भी बताया गया है कि आवेदक 6.7.2026 से जेल में बंद है और उसका आपराधिक इतिहास एक मामले का है जिसमें वह जमानत पर है। अंत में यह कहा गया है कि यदि आवेदक को जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की आज़ादी का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, एजीए ने जमानत की मांग का ज़ोरदार विरोध किया लेकिन ऊपर बताए गए तथ्यों को चुनौती नहीं दे सके।

5. प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अनुसार, कहा गया है कि आवेदक ने शादी का झूठा वादा करके पिछले एक साल से पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। पीड़िता बालिग है और उसकी उम्र लगभग 19 साल है। उसकी 8वीं कक्षा की विद्यालय छोड़ने की प्रमाण-पत्र के अनुसार उसकी जन्मतिथि 10.8.2007 है, हालाँकि, कोई दसवीं कक्षा का प्रमाण-पत्र या सबसे पहले जिस विद्यालय में उसने पढ़ाई की थी, उसका प्रमाण-पत्र नहीं है और उसकी उम्र का पता लगाने के लिए कोई रेडियोलॉजिकल जांच नहीं की गई है। पीड़िता की चिकित्सीय-विधिक आख्या उसके साथ बलात्कार होने की पुष्टि नहीं करती है। आवेदक 6.7.2026 से जेल में बंद है और उसका आपराधिक इतिहास एक मामले का है जिसमें वह जमानत पर है।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्यों, आरोपी की संलिप्तता, जेलों में भीड़ और विचारण न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए; साथ ही **कपिल वाधवान बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो** 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम यूपी राज्य** 2024 एससीसी ऑनलाइन इला 6765 मामले में इस न्यायालय की जमानत देने से संबंधित दिशानिर्देश को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. इसलिए, यह आवेदन स्वीकार किया जाता है।



8. उक्त अपराध में शामिल आवेदक - **अनिल कुमार निषाद** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि की दो जमानत राशि जमा करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

(i) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में शामिल नहीं होगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा भरे गए बंधपत्र की शर्तों के अनुसार पेश होगा।

9. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत निरस्त की जा सकती है।

10. बंधपत्र स्वीकार करने से पहले, संबंधित न्यायालय को आवेदक और जमानत देने वालों की पहचान, हैसियत और पते के सबूत की पुष्टि करनी चाहिए। संबंधित न्यायालय को आवेदक और जमानत देने वालों के मोबाइल संख्या और आधार कार्ड की भी पुष्टि करनी चाहिए।

11. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के जरिए संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजे।

12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह **स्वप्रेरित रिट याचिका (क्रि.) संख्या 4 वर्ष 2021 फैसला 31.01.2023 (2024) 10 एससीसी 685** में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए, इस आदेश की एक प्रतिलिपि **संबंधित जेल अधीक्षक** के जरिए ईमेल या ई-प्रिजन पोर्टल से 24 घंटे के अंदर आवेदक को भेजे।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

14 अगस्त, 2026

अभिषेक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।